Impact Factor: 6.017

ISSN: 2278-9529

GALAXY

International Multidisciplinary Research Journal

Peer-Reviewed e-Journal

Vol.15, Issue- 1 January 2026

15 Years of Open Access

Editor-In-Chief: Dr. Vishwanath Bite

Managing Editor: Dr. Madhuri Bite

www.galaxyimrj.com

लैंगिक समानता, विविधता और सर्व समावेशकता समय की मांग

बाबासाहेब गणपतराव इंगोले
संशोधक, तथा प्राचार्य,
अन्नपूर्णा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय,
बासंबा जिला.हिंगोली 431513
डॉ वसंत पुंजाजीराव गाडे
मार्गदर्शक

प्रस्तावना:

भारत विश्व में सबसे अधिक विविधताओं से भरा हुआ देश है ,जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर अरुणाचल तक प्राकृतिक भिन्नताओं से लेकर अनेक सामाजिक और संस्कृतिक भिन्नता नजर आती है। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो सामाजिक ढांचे की रचना कुछ इस प्रकार भारत में बनाई गई थी जिसमें पुरुषों को ऊंचा स्थान और महिलाओं को कनिष्ठस्थान पर रखा गया था भारतीय समाज में लगभग 2500 सालों से पुरुष प्रधान व्यवस्था चली आ रही है ,और कुटुंब में भी पितृसत्ताक पद्धति का अवलंब किया गया है। इस वजह से बड़े पैमाने पर लिंग भेद नजर आता है। लड़कियों को बचपन से ही ऐसे संस्कार किए जाते हैं कि उसने मूल्यवर्धन और श्रद्धा इन सभी में चीजों का पालन करना चाहिए, साथ ही उसे यह भी स्मरण किया जाता है कि उसका पति परमेश्वर है या ईश्वर का रूप है उसकी सेवा करना पत्नी का दायित्व है, उसपर बंधन भी लगाए जाते हैं और उन्हें सामाजिक परंपरा का नाम दिया जाता है।

जो भी कम दर्जे के कार्य है वह पत्नी ,स्त्री को दिए जाते हैं। इस तरह से उसे दास्य रूप में रखा गया है यही कारण है कि साहित्य के क्षेत्र में भी महिला वर्ग पिछड़ा दिखाई देता है। महिलाओं का अगर उत्थान करना है तो समाज में लैंगिक समानता, विविधता और समावेशकता लाना समय की मांग है। स्वतंत्रता के पूर्व जो 565 राज्यों में विभाजित भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य भारत के संविधान निर्माता डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ने किया है। जिसे एक वाक्य में कहना हो तो विविधता में एकता (diversity in unity) कहा गया है।

बीज शब्द: लैंगिकता, समानता, विविधता,समावेशकता:

संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित शाश्वत विकास शिखर परिषद 2015 में मानव के विकास हेतु 17 भविष्यकालीन उद्दिष्टों को निश्चित किया गया, जिन्हें एस डी जी गोल (sustainble Devopement Goa)l कहा गया है। जिसमें:

1)दरिद्रता निर्मूलन, 2)भूख से मुक्ति 3)सभी को स्वास्थ्य 4)सभी को शिक्षा 5)लैंगिक समानता 6)शुद्ध पेयजल, 7)स्वछता 8)सभी के लिए ऊर्जा 9)आर्थिक वृद्धि 10)उद्योगों में नव संशोधन11)असमानता निर्मूलन12) शाश्वत शहर और समुदाय 13)जवाबदारी से उपभोग और उत्पादन 14) पानी पर का जीवन 15)धरती पर का जीवन, 16)शुद्ध और आरोग्य दी वातावरण 17) शांती और मजबूत न्याय संस्था, और उद्दिष्टों के लिए भागीदारी यह 2030 प्राप्त करने हेतु यूए के शिखर परिषद में करार किया गया।

लैंगिक भेद और जैविक भेद:

सामान्यतः प्राणी मात्र के लिए जैविक भेद दर्शाने के लिए सेक्स इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो समस्त प्राणी मात्र और मनुष्य के लिए है जिसका अर्थ या भेद यानी या तो वह नर है या मादा है जबकि लैंगिक भेद यह लिंग के आधार पर भेद करता है जिसमें ऑन ओखलीइन्होंने अपने ग्रंथ जेंडर एंड सोसाइटी में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया जिसका अर्थ समाज और परिवार द्वारा किए गए संस्कारों के बाद जो बनता है वह या तो मस्क्युलिन यानी कि पुरुष बनता है या फेमिनिन यानी की महिला बनती है अन्य प्राणियों केलिए नर या मादा होते हैं मगर सामाजिकता के कारण और परंपरा के आधार पर महिला या पुरुष बनता है

भारत की सामाजिक व्यवस्था अगर देखी जाए तो समाज में लैंगिक भेद माने जाते हैं। इस वजह से समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के पहले भारत में स्त्री को पढ़ना या शिक्षित होना पाप माना जाता था। स्त्री का कार्य चूल और मूल यानी की घर की रसोई और बच्चों का संगोपन यह दो ही बातें स्त्री कर सकती है। ऐसी प्रथमिकता और संस्कृति थी। महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने इस बात को जाना और यह अधोरेखित किया कि जब तक आधा समाज यानी स्त्री जाति जब तक शिक्षित नहीं बनेगी तब तक पूर्ण समाज शाश्वत विकास की ओर नहीं जा सकता।

लैंगिक असमानता के कारण:

1) भारत के सभी धर्मशास्त्रों ने महिलाओंको हीन दर्शाया है।

धर्मशास्त्रों के अनुसार सुहागिन बनना अनिवार्य जबतक नारी किसी पुरुष के साथ विवाह नहीं करती तबतक उसे सुहागिन नहीं माना जाता ।सुहागिन बनना सर्वोच्च सत्ता की पत्नी माना गया है।

2) हिन्दू धर्म शास्त्रों के अनुसार एक महिला से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने आप को पति के लिए जो उसका परमेश्वर कहा गया है पूर्णता समर्पित कर दे और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न वह अपने पति के व्यवहार को लेकर न पूछे।

3) महिलाओं से सेवा की अपेक्षा

भारतीय समाज व्यवस्था में पुरुषों को चैतन्य और महिलाओं को वस्तु माना जाता है समाज में पुरुषों को प्रभावशाली वर्तन सिखाया जाता है ,तो नारियों को सेवा की शिक्षा दी जाती है।

4) लड़कियों और महिलाओं ने शिक्षा लेना पाप समझा जाता था:

मनुस्मृति इस मनु द्वारा रचित ग्रंथ के अनुसार महिलाओं को हीन माना जाता था। उसे शिक्षा लेने से वंचित रखा जाता था, समाजमें ऐसी धारणा में फैलाई गई थी ,कि अगर कोई लड़की या महिला संस्कृत की शिक्षा लेती है तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या डूब जाएगा इसलिए उसे शिक्षा का अधिकार नहीं था, वह शिक्षा से वंचित रहती थी।

5) ढोल गंवार शूद्र ,पशु और नारी सकल ताड़न के अधिकारी..

तुलसीदास की रामचरित्र मानस (सुंदरकांड)की एक चौपाई है जिसमें उपरोक्त उल्लेख किया है। इससे हमें समझ में आता है कि नारी को पशु और ढोल के साथ में तुलना करते हुए उसे पशु समान समझा गया है ताड़न के अधिकारी समझा गया है।

लैंगिक समानता:

लैंगिक समानता का अर्थ समाज में महिला और पुरुष के समान अधिकार समानदायित्व और सामान रोजगार के अवसर है। लैंगिक समानता यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के शिखर परिषद ने जो 17 उद्दिष्ट शाश्वत विकास के लिये रखे गये है उनमें लैंगिक समानता यह भी एक है । लैंगिक समानता के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं ,महिलाओं के अधिकारों के मामले में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता मैं ऐसा मानता हूं कि महिलाओं को ऐसी कानूनी रुकावट नहीं होनी चाहिए जो पुरुषों को नहीं झेलना पड़ती है तब तक भारतवर्ष की संपूर्ण महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धार्मिक, राजनीतिक एवं सांसारिक मामलों में बराबरी से अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करती तब तक भारतवर्ष के भाग्य का उदय नहीं हो सकता है।

समान सामाजिक दर्जा:

स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों को सामान सामाजिक दर्जा संविधान के माध्यम से मिला है ,इस वजह से उनमें बड़े पैमाने पर सामाजिक चेतना जागृत हुई दिखाई देती है। एक समय ऐसा था कि स्त्री को घर के बाहर जाना तो दूर मगर खिड़कियों से बाहर झांकना भी मुश्किल था वही स्त्री आज उसे मिले अधिकारों की वजह

से घर के बाहर जाकर नौकरी करती दिखाई दे रही है । इस प्रकार से परंपरावादी विचारों से दूर होकर नए तार्किक आदर्श और मूल्यों का स्वीकार कर रही है इस तरह से महिलाओं की सामाजिक दर्जे में सुधार होता नजर आ रहा है।

पारिवारिक संबंधों में सुधारना:

भारत में स्वतंत्रता के बाद लैंगिक समानता होती हुई दिखाई दे रही है इसकी प्रमुख वजह है भारत का संविधान है और स्वतंत्रता के दौरान बने हुए कायदे और अधिनियम है जिसमें बाल विवाह कायदा 1954 हिंदू विवाह घटस्फोट कायदा 1955 हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 हिंदू कोड बिल प्रतिबंधक कायदा 1961 आदि अधिनियम के वजह से स्त्रियों के पारंपरिक दर्जे सुधारने में और भारत में लैंगिक समानता लाने में बड़ी मदद होती दिखाई दे रही है।

शिक्षा में लैंगिक समानता:

पहले लड़की और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था उन्हें पढ़ना बहुत बड़ा पाप समझा जाता था मगर आज समाज सुधारक महात्मा फुले और क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले इस दांपत्य ने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला 1848 में पुणे यहां पर शुरू की और जो महिलाओं की शिक्षा को पाप माना जाता था जो ,सामाजिक व्यवस्था लड़कियों को शिक्षित होने नहीं देती थी, उनका विरोध सहकार इस फूले दांपत्य ने शिक्षा का कार्य अविरत शुरू रखा।

स्वतंत्रता के बाद स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, महिलाएं अशिक्षित रहने से उन पर अन्याय,अत्याचार होते थे मगर अब पीढ़ी पढ़ी-लिखी होने से उनमें एक जागरूकता निर्माण हुई । भारत में वर्ष 1991 में स्त्रि साक्षरता का प्रमाण 39.29 था ,तो 2001 में है साक्षरता का प्रमाण बढ़कर 54.6 हो गया, महिलाएं शिक्षित होने से आत्मनिर्भर बन गई और स्वयं निर्णायक्षम बनी इस वजह से उन पर होने वाले अन्याय और अत्याचारों का प्रमाण काम होता दिखाई देता है,आज महिलाएं सभी क्षेत्र में उच्च स्थान पर जा पहुंची है।

आर्थिक समानता:

लैंगिक असमानता के कारण महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं थी ,आर्थिक सक्षम नहीं थी। पुरुष ने व्यवसाय नौकरी अथवा कोई भी काम करके अर्थाजन करना और स्त्री ने उन पैसों से घर गृहस्ती चलाना इतना ही कार्य लैंगिक असमानता की वजह से स्त्रियों के हिस्से में आया था। इससे स्त्री समाज आर्थिक गुलाम बन गया था मगर आज की महिलाएं समानता का अधिकार मांगते हुए आर्थिक आत्म निर्भर हो रही है क्योंकि 1981 में नौकरियां व्यवसाय करने वाली महिलाओं की संख्या 19.67 प्रतिशत थी, तो 1991 में यही संख्या बढ़कर 22.27 प्रतिशत हो गई है 2001 में काम करने वाली स्त्रियों की संख्या लगभग 45प्रतिशत होती दिखाई देती है। आज महिलाएं सभी क्षेत्र में कार्यरत है ऐसा कोई भी क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा, खेल से लेकर संशोधन, संस्कृति और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लैंगिक समानता लाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे वह आर्थिक सक्षम भी होती नजर आ रही है।

लैंगिक समानता लाने के बारे में भारत सरकार और भारतीय राज्यघटना की पहल:

भारत 1947 में स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ इस संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉ बाबासाहेब अंबेडकर ने संविधान के प्रस्तावना में यह बात रेखांकित की।

की भारत के संविधान के सामने स्त्री और पुरुष दोनों समान है इनके हक और अधिकार समान साथ ही में इन्हें संधि की समानता है। इनमें लिंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता केवल कोई स्त्री है इस वजह से उसे किसी भी कार्य में नकारा नहीं जा सकता या कम समझा नहीं जा सकता, यह कानूनी प्रावधान किया गया क्योंकि विगत लगभग डेढ़ हजार वर्षों से स्त्री उपभोग की वस्तु या गुलाम की तरह जी रही थी ,वह स्वयं भी अधिकारों की मांग करने से हिचकिचाती जाती थी। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि मैं और मेरा कार्य पुरुष और पुरुष प्रधान व्यवस्था की सेवा करना ही है। मुझे कोई हक या अधिकार नहीं है इस वजह से उसके संस्कारों में अगर बदलाव लाना है तो उसे कानून का स्वरूप लाना बहुत अनिवार्य था।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:

लिंगानुपात जो भारत में घटता जा रहा था,प्रत्येक राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की तुलना में घट रही थी इस वजह से लैंगिक समानता नहीं हो रही थी इसलिए महाराष्ट्र शासन ने 2015 में बेटी बचाओ

बेटी पढ़ाओ इस अभियान की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार लैंगिक समानता , महिलाओं की सुरक्षितताऔर महिलाको समान अवसर प्रदान करना यह था ।

महिला हेल्पलाइन योजना:

महिलाओं को और छोटी उम्र की लड़कियों को सुरक्षितता प्रदान करने हेतु सरकार ने 1098,112 जैसी हेल्पलाइन 2015 में निर्माण की है जिससे कोई भी महिला लड़की या लड़का इस हेल्पलाइन नंबर पर आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा पा सकता है

उज्ज्वला योजना:

गरीब महिलाओं को उत्पीड़न से बचने के लिए भारत सरकार ने मुक्त गैस कनेक्शन देने की यह उज्ज्वला योजना लाई है इस प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को लैंगिक सुरक्षा प्रदान करते हुए आर्थिक सक्षम बनानेहेतु योजना शुरू की गई है।

स्टेप योजना: प्रशिक्षित करना और रोजगार देना:

महिलाओं को आर्थिक कुशल बनाने हेतु भारत सरकार ने स्टेप कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें महिलाओं को कुशलता पूर्वक कुछ रोजगारों के लिए तैयार किया जाता है जिस से महिला की आर्थिक स्थिति सक्षम हो।

महिला शक्ति केंद्र:

यह एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण की योजना है यह योजना ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाने ,कौशल्य विकास और सामूहिक शक्ति के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है।यह 115 जिलों में योजनाकार्यान्वित है।

राष्ट्रीय महिला आयोग:

राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो महिलाओं के नीतिगत मामले में सलाह देता है इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। महिलाओं से जुड़े सभी मामले आयोग द्वारा सुलझाए जाने का काम किया जाता है।

सामाजिक न्याय:

सामाजिक न्याय का उद्देश्य सभी पिछड़ी लोगों को समान अवसर प्रदान करना है सामाजिक न्याय यह किसी भी प्रकार का जातीय आधारित लिंग आधारित भेद किए बिना समान अवसर प्रदान करता है।

लैंगिक समानता समय की मांग:

लैंगिक समानता अगर हो महिला की कार्यबल भागीदारी हर कार्य क्षेत्र में होगी तो आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। और आर्थिक विकास की गति दुगनी हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने अपने SDG(शाश्वत विकास के ध्येय) में लैंगिक समानता को स्थान दिया है क्योंकि लैंगिक समानता रही तो मानव जाती का विकास दुगनी गति से हो सकता है।जैसे आर्थिक विकास,अच्छा स्वाथ, अच्छी शिक्षा, नवाचार की प्रगति, स्थिरता और शांति, और समावेशी समाज।

सारांश:

एक पुरुष जितना महत्वपूर्ण है ,एक महिला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ,महिलाओं के श्रम एवं प्रयत्नों से समाज की भलाई होती है। महिला बच्चे की प्रथम गुरु मानी जाती है मां द्वारा बच्चों की पहली गुरु होती है और आध्यात्मिक एवं मानसिक पालक होती है इस पर भी महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह समाज उन्हें द्वयम स्थान देता है ।भारतवर्ष में महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर नैतिक रूप से अविश्वसनीय आर्थिक रूप से बोझ एवं बौद्धिक रूप से कमजोर माना जाता है। गंभीर आध्यात्मिक गतिविधियों से दूर ही रखा जाता है पुरुष को प्रभावी स्थान प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है, जबकि स्त्री को सेवा भाव की।इस बात का विश्लेषण किया गया है कि पुरुषवादी एवं भौतिकवादी संस्कृत में महिलाओं के सामने किस प्रकार की चुनौती है इससे कुछ विषयों पर प्रस्ताव किए गए हैं जिन्हें अपना कर महिलाएं

अपनी शक्ति प्राप्त कर सकती है। तथा समाज ,परिवार में उन्हें पुरुषों तुलना में पूर्णरूप में उनका सम्मान ,दर्जा प्राप्त कर सकती है। क्योंकि जो समाज महिलाओं का सम्मान करता है वह समाज आध्यात्मिक एवं मानवीय मूल्यों का भी सम्मान करता है। इस लिए अगर भारत में और संपूर्ण विश्व में प्रगति लानी हो तो लैंगिक समानता बहुत जरूरी है लैंगिक समानता स्त्री और पुरुषों को समान अवसर प्रदान करती है लिंग आधार पर किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करती है।

सन्दर्भ:

1) लिंग भाव शाला आणि समाज, डॉ.पांडुरंग कदम, साधन पब्लिकेशन, परभणी

2) मानव शास्त्र दिल लिंग भावाची शोध मोहिम, दुबे लीला, डायमंड प्रकाशन पुणे

3) www.gov.in.genderequality

4) महिलाएं संविधान और लैंगिक समानता डॉक्टर एकता सिंहवाल

5) शिक्षा साहित्य में लैंगिक असमानता और महिला अधिकार डॉ अमितकुमार दुबे, हंस प्रकाशन नई दिल्ली

6) लिंग, विद्यालय और समाज डॉ.सुमेधा पाठक, नीलकमल पब्लिकेशन नई दिल्ली